न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 382 / 2025(GCMS : 2025/513)

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबन्धक श्री महेन्द्र कुमार जैन, शाखा AMCC प्रथम तल, नजदीक चहल चौक, श्रीगंगानगर

बनाम

श्रीमती खुशप्रीत कौर निवासी गावं 42 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.02.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थी खुशप्रीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में 3.25 / – लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 16.07.2022 प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 19.08.2025 को 4,58,994 / – रूपये की राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी खुशप्रीत कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 48, गांव 42 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार क्षेत्रफल 50' गुणा 54' वर्गफीट है, (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – रोड़, पश्चिम – जसपाल सिंह का प्लॉट, उत्तर – प्रेमपाल का प्लॉट, दक्षिण– राजेन्द्र सिंह का प्लॉट),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी खुशप्रीत कौर** को **3.25 / – लाख रूपये का ऋण की स्वीकृत दिनांक 16.07.2022 को प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज मे अप्रार्थी खुशप्रीत कौर ने **अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 48, गांव 42 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार क्षेत्रफल 50' गुणा 54' वर्गफीट है, (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – रोड़, पश्चिम – जसपाल सिंह का प्लॉट, उत्तर – प्रेमपाल का प्लॉट, दक्षिण– राजेन्द्र सिंह का प्लॉट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 11.06.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं तामील के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी खुशप्रीत कौर की अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 48, गांव 42 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार क्षेत्रफल 50' गुणा 54' वर्गफीट है, (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – रोड़, पश्चिम – जसपाल सिंह का प्लॉट, उत्तर – प्रेमपाल का प्लॉट, दक्षिण– राजेन्द्र सिंह का प्लॉट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, **वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।** इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.08.2025 की तामील का प्रश्न है। **प्रार्थना पत्र के अनुसार** दिनांक 20.08.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.08.2025 भिजवाया गया था, पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2)** [illegible] **होना माना जाना उचित है।** इसके बावजूद भी [illegible] या ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न** [illegible] **नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए [illegible] की सुरक्षा की एवज में ऋणी खुशप्रीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी खुशप्रीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल रिहायशी प्लॉट नं. 48, गांव 42 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार क्षेत्रफल 50' गुणा 54' वर्गफीट है, (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – रोड़, पश्चिम – जसपाल सिंह का प्लॉट, उत्तर – प्रेमपाल का प्लॉट, दक्षिण– राजेन्द्र सिंह का प्लॉट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:44 IST
Reason: SelfAttested